राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

[Click here for request to integrate with RAAS Portal]

क्रमांक F5(1171)/DoIT/Tech/19/04307/2019 जयपुर, दिनांक: 30-09-19

समस्त अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव,
समस्त प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव,
समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित

विषयः सरकारी वाहन एवं सरकारी उपयोग में आने वाले वाहनों की GPS tracking के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से, आपातकालीन सेवाओं के सुचारू संचालन और प्रबोधन हेतु तथा सरकारी वाहनों और सरकारी उपयोग में आने वाले समस्त वाहनों के उपयोग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से "Rajasthan Accountability & Assurance System (RAAS)" द्वारा वाहनों की GPS tracking का कार्य किया जा रहा है।

RAAS परियोजना के अंतर्गत वाहनों में GPS device लगाये जाते हैं जिसके द्वारा उनकी GPS tracking के साथ गति, ऑन–ऑफ की स्थिति इत्यादि अन्य कई जानकारी की रिपोर्ट उपलब्ध होती है।

वर्तमान में पुलिस, अग्निशमन, अन्नपूर्णा, वन विभाग, परिवहन विभाग के वाहनों में इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश के सभी अभय कमांड सेंटर पर पुलिस और अग्निशमन के वाहनों के नियमित मोनिटरिंग से कानून व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने में सहायता मिली है।

RAAS परियोजना के सफल उपयोग को देखते हुए सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा, RISL के माध्यम से क्रियान्वित RAAS परियोजना को आवश्यक रूप से उपयोग में लेवें। इस हेतु सभी सरकारी विभाग और उनके अधीन एजेंसी / PSU इत्यादि स्वयं के स्तर पर RAAS परियोजना से compatible device क्रय कर सभी वाहनों में स्थापित कर RISL के माध्यम से RAAS परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

RAAS परियोजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु raas.risl@rajasthan.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही श्री मोहम्मद असलम खान, मैनेजर (तकनीकि), RISL से aslam.risl@rajasthan.gov.in पर अथवा 9413344076 पर संपर्क किया जा सकता है।

समस्त सरकारी विभाग इस आदेश की अनुपालना दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव